UPME010005872011

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989, मेरठ।

उपस्थितः अमित वीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(जे.ओ. कोड– यू.पी.6240)

सत्र परीक्षण संख्या–221/2014

उत्तर प्रदेश राज्य .... अभियोजन

बनाम

योगराज उर्फ जोगराज गुर्जर पुत्र बलीराम, निवासी–ग्राम रहमापुर, थाना बहसूमा, जिला मेरठ।

.... अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या–62/2011
धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता
एवं धारा 3 (2) 5 अनुसूचित जाति और
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)
अधिनियम, 1989
थाना–बहसूमा, जिला–मेरठ।

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण से सम्बन्धित अपराध में पुलिस थाना बहसूमा, जिला मेरठ द्वारा अभियुक्त योगराज उर्फ जोगराम के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–62/2011, धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3 (2) 5 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा दिनांक 06.06.2011 को प्रसंज्ञान लिया गया, के आधार पर संस्थित हुआ है, जिसके द्वारा अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जा रहा ळें

<u>अभियोग सारणी</u>

वादी मुकदमा	**श्री महाराज सिंह पुत्र रामसिंह, निवासी–रहमापुर, थाना बहसूमा, जिला, मेरठ।**
अभियोजन की ओर से	**श्री मोहित गुप्ता, विशेष लोक अभियोजक, मेरठ।**
अभियुक्त की ओर से	**श्री विनोद कुमार चौधरी एडवोकेट**
अंतर्गत धारा	**धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3 (2) 5 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989**
पुलिस थाना	**ब्हसूमा**
जिला	**मेरठ।**
अपराध की तिथि व समय	**03.12.2020 समय अज्ञात**

अपराध पंजीकृत किये जाने की तिथि	**30.03.2011 समय 10:30 बजे**
आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि	**30.04.2011**
प्रसंज्ञान लेने की तिथि	**06.06.2011**
सत्र सुपुर्दगी की तिथि	**05.02.2014**
आरोप विरचित करने की तिथि	**18.06.014**
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	**22.08.2014 से 06.03.2023**
बयान अभियुक्त 313 दं0प्र0सं0 अंकित करने की तिथि	**29.04.2023**
अतिरिक्त 313 दं0प्र0सं0 की तिथि	**21.06.2024**
बहस की तिथि	**28.06.2024 से**
निर्णय पारित किये जाने की तिथि	

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा महाराज सिंह द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3)दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ''दिनांक 03.12.2010 को प्रार्थी की लड़की सोनी आयु करीब 15 साल दिन में अपने घर पर थी। गांव का ही योगराज बलीराम गुर्जर अभियुक्त प्रार्थी के घर पर आया और किसी बहाने से उसे परसाद बताकर मिठाई देकर गया जिसमें कोई जहरीला पदार्थ मिला हुआ था। प्रार्थी की बेटी सोनी ने उक्त मिठाई जो योगराज देकर गया था, जिसमें जहरीला पदार्थ मिला हुआ था परसाद समझ कर अनभिज्ञता में खा लिया जिसे खाने के कुछ देर बाद प्रार्थी की बेटी को उल्टियां होनी शुरू हो गयी। कुछ देर बाद प्रार्थी घर पर आया तो उसकी बेटी उल्टियां कर रही थी। प्रार्थी ने उससे उल्टी करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे गांव का योगराज मुझे परसाद मिठाई बताकर देकर गया था जो मैंने खाई है उसके कुछ देर पश्चात् ही मुझे उल्टियां शुरू हो गयीं। उल्टियां जारी रहने से प्रार्थी की बेटी की हालत बिगड़ती गयी और कुछ ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया। घटना के समय प्रार्थी की बेटी मिनाक्षी घर में अन्दर थी जिसने योगराज को अपनी बहन को मिठाई देते हुए देखा था लेकिन वह मिनाक्षी को मिठाई देकर नहीं गया था। योगराज को गांव के ननवा सिंह पुत्र रामसिंह, कालूराम पुत्री रितूशरण व करतार सिंह पुत्र इन्द्राज ने भी योगराज को प्रार्थी के घर से जाते हुए देखा। प्रार्थी ने अपनी बेटी की मृत्यु के पश्चात् थाना बहसूमा पुलिस को सूचना दी। पुलिस प्रार्थी की मृतक बेटी के शव को थाने लेकर आयी। प्रार्थी ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को योगराज के विरुद्ध लिखकर दी लेकिन पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की और उसकी मृतक बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिये भिजवा दिया। पोस्टमार्टम के पश्चात् भी पुलिस ने प्रार्थी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करने के पश्चात् प्रार्थी ने इस घटना की शिकायत क्षेत्राधिकारी महोदय मवाना से भी की तथा उसकी एक फोटो प्रति थानाध्यक्ष, थाना बहसूमा को भी दी जिसकी उन्होंने मोहर लगाकर प्राप्ति प्रार्थी को दी है लेकिन एक सप्ताह होने जा रहा है परन्तु अभी तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। मजबूरन श्रीमान के समक्ष यह कार्यवाही करनी पड़ रही है। क्षेत्राधिकारी महोदय को दी गयी व थाने से प्राप्ति व पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटो प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर समस्त हालात को देखते हुए प्रार्थी की रिपोर्ट उचित धाराओं में दर्ज करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3)दं0प्र0सं0 पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा दिनांक 14.02.2011 को सम्बन्धित थानाध्यक्ष को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने हेतु आदेशित किया गया।

4. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ के आदेश के अनुपालन में थाना बहसूमा, जिला मेरठ पर दिनांक 30.03.2011 को समय 10:30 बजे अभियुक्त योगराज उर्फ जोगराज के विरूद्ध मु0अ0सं0–62/2011, धारा–328, 302 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले का खुलासा नकल रपट रोजनामचा आम संख्या 17 समय 10:30 दिनांक 30.03.2011 को किया गया।

5. प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना सी0ओ0 मवाना द्वारा प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना, विवेचक/सी0ओ0 मवाना द्वारा मामले से सम्बन्धित प्रपत्र प्राप्त किये गये तथा एफ.आई.आर. लेखक व वादी मुकदमा के बयान अंकित किये गये। दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा–161 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये। विवेचक द्वारा वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया और मृतका के पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम सम्बन्धी प्रपत्रों को संकलित कर केस डायरी में अंकित किया तथा अभियुक्त योगराज उर्फ जोगराज के विरूद्ध विवेचना की सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण करते हुए तथा पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र मु0अ0सं0–62/2011, धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3(2)5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के अन्तर्गत न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

6. विचारण न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा अभियुक्त योगराज उर्फ जोगराज के विरूद्ध प्रकरण विशेष न्यायाधीश/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के द्वारा विचारणीय पाते हुए दिनांक 05.02.2014 को सत्र सुपुर्द किया गया। तदोपरान्त उक्त सत्र परीक्षण माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के अन्तरण आदेश दिनांक 25.02.2014 के द्वारा इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

7. अभियुक्त योगराज उर्फ जोगराज के न्यायालय उपस्थित आने पर दिनांक 18.06.2014 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा–306 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (2) 5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा विरचित आरोप से इन्कार किया गया और विचारण की मांग की।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने हेतु निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है :

कमांक	नाम साक्षी	विवरण साक्षी	दस्तावेज/वस्तु	प्रदर्श
1.	पी0डब्लू0–1 महाराज सिंह पुत्र रामसिंह	वादी मुकदमा (मृतका कु0 सोनी का पिता)	पंचायतनामा प्रार्थना पत्र 156(3)दं0प्र0सं0	प्रदर्श क–1 प्रदर्श क–2

2.	पी0डब्लू0–2 मिनाक्षी पुत्री महाराज सिंह	मृतका की बहन चश्मदीद साक्षी	–	–
3.	पी0डब्लू0–3 कालू पुत्र रितुचरण	चश्मदीद साक्षी	–	–
4.	पी0डब्लू0–4 देवीसिंह पुत्र ननवा सिंह	तथ्य का साक्षी	–	–
5.	पी0डब्लू0–5 डा0 आनंद प्रकाश	मृतका का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक साक्षी	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–3
6.	पी0डब्लू0–6 उप निरीक्षक वेद सिंह	एफ0आई0आर0 लेखक	न्यायालय का आदेश दिनांकित 14.02.2011 चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित जी0डी0	प्रदर्श क–4 प्रदर्श क–5 प्रदर्श क–6
7.	पी0डब्लू0–7 उप निरीक्षक मलखान सिंह राघव	गवाह पंचायतनामा	चिठ्ठी सी0 एम0 ओ0 फोटो नाश चिठ्ठी प्रतिसार निरीक्षक चालान फार्म सं0–13	प्रदर्श क–7 प्रदर्श क–8 प्रदर्श क–9 प्रदर्श क–10
8.	पी0डब्लू0–8 रिटायर्ड सी0ओ0 अखलाक अहमद खॉ	विवेचक	नक्शा नजरी घटनास्थल आरोप पत्र	प्रदर्श क–11 प्रदर्श क–12

9. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर दिनांक 29.04.2023 को अभियुक्त योगराज उर्फ जोगराज के बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/351 बी.एन.एस.एस. अंकित किये गये जिसमें अभियुक्त ने वादी मुकदमा की पुत्री के साथ किसी प्रकार की कोई घटना कारित किये जाने से इन्कार करते हुए व ादी की साक्ष्य को गलत बताया तथा कोर्ट के माध्यम से गलत तथ्यों पर रिपोर्ट दर्ज कराने का कथन किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सम्बंध में कुछ न कहने का कथन किया तथा पंचायतनामा को समय विपरीत होना बताया। अभियुक्त ने आरोप पत्र गलत विवेचना के आधार पर प्रस्तुत करने का कथन किया है। साक्षीगण द्वारा रंजिश के कारण गलत गवाही देना तथा गांव की पार्टीबाजी एवं नाजायज धन लेने के लिये झूठा मुकदमा पंजीकृत कराये जाने का कथन किया। अभियुक्त द्वारा यह भी कथन किया गया कि वह निर्दोष है उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया गया।

10. दिनांक 21.06.2024 को अभियुक्त का अतिरिक्त बयान अं0 धारा–313 दं0प्र0सं0/351 बी.एन.एस.एस. अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने साक्षी पी0डब्लू0–4 देवी सिंह की साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ न कहने का कथन करते हुए पुनः गांव की पार्टीबाजी व अवैध रूप से धन लेने हेतु मुकदम दर्ज कराये जाने का कथन किया है और स्वंय को निर्दोष बताते हुए अपराध कारित करने से इन्कार किया गया है।

11. उभय पक्ष की ओर से अन्य कोई मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

<u>उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क</u>

12. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक, मेरठ/विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन की तरफ से परीक्षित कराये गये साक्षीगण द्वारा अपने बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। उनके द्वारा तहरीर/प्रार्थना पत्र अं0 धारा 156 (3)दं0प्र0सं0 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनों का पूर्ण समर्थन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध पंचायतनामा प्रदर्श क–1 में पंचों की राय में उल्लिखित किया गया है कि मृतक सोनी की मृत्यु जहरीला पदार्थ खाने से हुई है। पंचायतनामे की कार्यवाही दिनांक 03.12.2010 को 20:30 बजे प्रारम्भ की गयी और 04.12.2010 को 8:30 ए0एम0 पर पूर्ण कर मृतका का शव पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। पी0डब्लू0–5 डा0 आनंद प्रकाश द्वारा मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया गया तथा मृतका के शरीर की झिल्लियॉ, मस्तिष्क, फेफड़े, अमाश्य, ऑतें प्लीहा, गुर्दे संकुचित पाये गये थे। पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा महाराज सिंह, पी0डब्लू0–2 मिनाक्षी, पी0डब्लू0–3 कालू द्वारा घटना अपने बयान 161दं0प्र0सं0 तथा न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये जाने पर अपनी मुख्य साक्ष्य में घटना का पूर्ण समर्थन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तथा गवाहान के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 में यह बात आयी है कि दिनांक 03.12.2010 को किसी समय स्थान रहमापुर, थाना बहसूमा जिला मेरठ में स्थित वादी मुकदमा महाराज सिंह के घर में घुसकर अभियुक्त योगराज उर्फ जोगराज ने उसकी पुत्री मृतका सोनी को जहरीला पदार्थ खिलाकर आत्महत्या के लिये प्रेरित किया यह जानते हुए कि वादी एवं उसकी पुत्री अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य हैं और उपोरक्त अभियुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नहीं है। विवेचना अधिकारी द्वारा गवाहान के बयान अंकित कर उक्त तथ्य का उल्लेख किया है। साक्षीगण ने सभी प्रलेखीय साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष विधि अनुसार प्रमाणित किया है, जिससे अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त को दण्डित करने की याचना की गयी है।

13. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तर्क दिया गया कि उक्त अभियुक्त ने वादी मुकदमा की पुत्री मृतका सोनी को कोई जहरीला पदार्थ नहीं खिलाया और न ही उसे आत्महत्या करने के लिये प्रेरित किया। अभियुक्त द्वारा कोई भी अपराध कारित करने से इंकार किया गया है। अभियुक्त को गांव की पार्टीबाजी और रंजिश के कारण तथा अवैध रूप से धन वसूलने हेतु झूठा फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0डब्लू0–1 महाराज सिंह व मिनाक्षी क्रमशः मृतका के पिता व सगी बहन हैं जो हितबद्ध साक्षी हैं। पी0डब्लू0–3 कालू के बयानों में पर्याप्त विरोधाभास है। पी0डब्लू0–4 पक्षद्रोही साक्षी घोषित कराया गया है। पी0डब्लू0–5 चिकित्सी साक्षी आनंद प्रकाश ने केवल मृतका के शव का परीक्षण कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गयी है। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–6 उपनिरीक्षक वेदसिंह तथा पी0डब्लू0–7 उपनिरीक्षक मलखान सिंह मात्र औपचारिक साक्षी हैं जिनके द्वारा अभियोजन प्रपत्र तैयार किये गये हैं और उन्हें साबित किया गया है। पी0डब्लू0–8 अखलाक अहमद खॉ इस मामले के विवेचक हैं। प्रस्तुत प्रकरण में मृतका का विसरा संरक्षित किया गया था जिसके सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त समस्त साक्ष्य के आधार पर अभियोजन अपने प्रकरण को अभियुक्त योगराज उर्फ जोगराज के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में

पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किया जावे।

14. मेरे द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक, मेरठ के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक् अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष

15. प्रस्तुत प्रकरण में इस तथ्य का विनिश्चय किया जाना है कि क्या दिनांक 03.12.2010 को किसी समय स्थान वादी का निवास स्थिति ग्राम रहमापुर, थानान्तर्गत बहसूमा, जिला मेरठ में उपरोक्त अभियुक्त ने वादी मुकदमा महाराज सिंह की पुत्री मृतका सोनी को आत्महत्या करने के लिये उत्प्रेरित किया। यह जानते हुए कि वादी एवं उसकी पुत्री अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य हैं और उपोरक्त अभियुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नहीं है, वादी मुकदमा उपरोक्त की पुत्री सोनी को प्रसाद के रूप में जहरीला पदार्थ खिला दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी?

16. उपरोक्त तथ्यों को साबित करने हेतु अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू0–1 के रूप में महाराज सिंह** जो मृतका के पिता हैं और जिनके द्वारा थाना बहसूमा पर रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि–

''घटना दिनांक 03.12.2010 की है। मेरी जाति जाटव है। घटना वाले दिन मेरी लड़की सोनी जिसकी उम्र उस समय करीब 15 वर्ष थी तथा मेरी छोटी लड़की मिनाक्षी दोनों घर पर ही थीं। मैं व मेरी पत्नी शादी में रूड़की गये हुए थे। तभी हमारे गांव का योगराज पुत्र बलीराम जाति गुर्जर मेरे घर पर आया। एक मेरी लड़की सोनी को बहाने से प्रसाद बताकर मिठाई देकर चला गया। जिस मिठाई में जहर मिला हुआ था। इसे प्रसाद समझकर मेरी लड़की सोनी ने खा लिया था। जिसे खाकर उसे उल्टी होने लगी। इस बात की खबर मेरी छोटी लड़की मिनाक्षी ने मुझे फोन पर दी। सूचना मिलने पर तुरन्त एक गाड़ी से वापिस घर आये। घर आकर मैने अपनी लड़की सोनी से पूदा कि उल्टी क्यों हो रही है तो उसने मुझे बताया कि गांव का योगराज मुझे प्रसाद बताकर मिठाई दे गया था उसे मैने खा लिया और उसकी हालत फिर खराब हो गयी एवं उसने दम तोड़ दिया। मेरी लड़की मिनाक्षी जो उस दिन घर पर थी उसने योगराज को सोनी को मिठाई देते हुए देखा था तथा गांव के ननवा (नवाब) पुत्र रामसिंह, करतार सिंह पुत्र इन्द्राज ने उस दिन योगराज को मेरे घर से निकलकर जाते देखा था। अपनी बेटी की मृत्यु की घटना की सूचना मैंने थाना पुलिस में दी थी और पुलिस वाले मेरी बेटी के शव को थाना बहसूमा लेकर गये थे। उसी दिन मैंने घटना की रिपोर्ट मुलजिम योगराज के खिलाफ कार्यवाही किये जाने हेतु थाने पर दी थी। पंचायतनामा पुलिस वालों ने मेरे व अन्य पंचों के सामने भरकर उस पर मेरे हस्ताक्षर अन्य पंचों के हस्ताक्षर कराये थे। इस साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध पंचायतनामा कागज संख्या 17अ/1 व 2 पर अपने हस्ताक्षर की तसदीक करते हुए **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया। साक्षी ने यह भी बयान दिया कि जो रिपोर्ट मैंने थाना बहसूमा में दी थी उसकी छाया प्रति दिनांकित 03.12.2010 कागज संख्या–9 है। उसके बाद इस घटना की बावत सी0ओ0 मवाना को भी प्रार्थना पत्र दिया था जिसकी छाया प्रति पत्रावली पर कागज सं0–8 है । जब मेरी रिपोर्ट नहीं

लिखी गयी, उसके बाद मैंने 13.12.2010 को अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था जो पत्रावली पर उपलब्ध है। साक्षी ने पत्रालवी पर उपलब्ध कागज संख्या–27अ/ 3 व 4 पर अपने हस्ताक्षर की तसदीक करते हुए **प्रदर्श क–2** के रूप में साबित किया है। ''

17. बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से विस्तृत जिरह की गयी। जिरह के दौरान साक्षी ने यह बताया कि–

''घर आने के बाद मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गया था। रिपोर्ट देने के बाद पुलिस मेरे घर आयी थी। जब मैं थाने गया था तो तहरीर लिखवाकर ले गया था। मैं वीरसिंह पुत्र भूले को जानता हूॅ। मेरे गांव का है। मेरा परीचित है। तहरीर वीरसिंह से थाने में लिखवाकर दी थी। उसके बाद पुलिस आयी थी। एस0ओ0 दरोगा और तीन सिपाही आये थे। उन्होंने घर पर लिखत पढ़त की थी। पंचायतनामा भरा गया था। पंचायतनामा भरते समय मैं वहीं पर मौजूद था। उस समय वीरसिंह, संजय सिंह, राजसिंह और वीर सिंह पुत्र जग्गू भी मौजूद थे। पंचायतनामे पर मैंने अपने हस्ताक्षर किये थे। पंचायतनामा भरते समय दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ की थी और उसके पश्चात् लिखत पढ़त करके मेरे व अन्य लोगों के हस्ताक्षर कराये थे। पंचायतनामे की लिखत पढ़त मेरे सामने की थी व मेरी सहमति से हुई थी। लिखत पढ़त करने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिये भिजवा दिया था और पुलिस वापिस चली गयी थी। यह बात सही है कि पंचायतनामे पर अंकित मेरी राय में सोनी को जोगराज उर्फ योगराज ने जहर दिया हो, ऐसा कुछ अंकित नहीं कराया है। यह बात भी सही है कि मेरी राय में सोनी की मृत्यु जहरीला पदार्थ खाने से होना अंकित है। सोनी के पास सल्फास का एक पैकेट मिला था जो सफेद व हरे रंग का था जो दस ग्राम का था।''

साक्षी ने जिरह में बताया है कि–

''यह बात सही है कि इस बयान में मेरी लड़की कु0 सोनी के मर जाने की सूचना दिनांक 03.12.2010 को समय करीब 12:00 बजे दिन मेरे भाई नवाब द्वारा दिये जाने का कथन अंकित है। इस बयान में यह बात भी सही लिखी है कि कु0 सोनी के मर जाने की सूचना के पश्चात् मैं दिनांक 03.12.2010 को शाम 5:00 बजे अपने घर आया था। इस बयान में यह बात भी खुली लिखी है कि, ''मैंने इस घटना की तहरीर वीरसिंह पुत्र भूलेराम से दिनांक 03.12.2010 को ही लिखवाकर थाना बहसूमा पर दी थी और एस0ओ0 बहसूमा ने मेरे घर मौके पर आकर पंचायतनामा भी भरा था।''

गवाह ने जिरह में यह भी बयान किया कि–

''पंचायतनामा पर मैंने अपने हस्ताक्षर किये थे। मेरी लड़की मुझे घर आने पर जीवित नहीं मिली थी। मुख्य परीक्षा में दिनांक 22.08.2014 को मैंने, ''घर आकर अपनी लड़की सोनी से पूछा कि उल्टी क्यों हो रही है तो उसने मुझे बताया कि गांव का जोगराज मुझे प्रसाद बताकर मिठाई दे गया था उसे मैंने खा लिया। यह बात गलती से लिखा दी थी।''

जिरह में यह भी बताया कि–

''मैंने कभी जोगराज मुलजिम को मेरे घर आते हुए मेरी लड़की सोनी से बातचीत करते हुए नहीं देखा। मैंने जोगराज को मेरी लड़की सोनी को प्रसाद या मिठाई देते हुए भी नहीं देखा। गवाह ने कागज संख्या 19अ/3 देखकर कहा कि यह वही तहरीर है जो मैंने वीरसिंह से लिखवाकर थाना बहसूमा पर दी थी। इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।''

गवाह ने जिरह में यह भी कथन किया है कि–

''एस0ओ0 साहब को मेरी लड़की सोनी के पास सल्फास का एक पैकेट मिला था जिसे उन्होंने मेरे व वीरसिंह के सामने सील किया था। मुझे नहीं पता कि सोनी ने कितनी गोली खायी थी क्योंकि मैं घर पर नहीं था।''

18. पी0 डब्लू0 1 वादी मुकदमा है, जिसने घटना दिनांक 03.12.2010 की बतायी है और धारा 156(3) दं0प्र0सं0 प्रार्थना पत्र के माध्यम से थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराना बताया है। वादी पी0डब्लू0–1 द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 दिनांक 13.12.2010 को न्यायालय में दिया गया था।

19. धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के प्रार्थना पत्र में वादी ने बताया कि दिनांक 03.12.2010 को जब प्रार्थी घर आया तो प्रार्थी की बेटी मृतका जिन्दा थी, उसे उल्टियाँ हो रही थी और प्रार्थी की बेटी मृतका ने उसको बताया कि उनके गांव का योगराज उसे मिठाई प्रसाद बताकर दे गया था, जो उसने खाया है और उसके कुछ देर पश्चात् उसको उल्टियां शुरु हो गयी और कुछ देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया। यह बात पी0डब्लू0 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में बतायी है, किन्तु जिरह में इससे विरोधाभासी बयान करते हुए बताया कि उसकी लड़की उसे घर आने पर जिवित नही मिली थी और मुख्य परीक्षा में जब उसने बताया है कि जब वह घर आया और अपनी लड़की सोनी से पूछा कि उल्टियां क्यों कर रही है तो उसने बताया कि योगराज उसे प्रसाद बताकर मिठाई दे गया है, उसे उसने खा लिया है, यह बात गलती से लिखा दी थी। गवाह ने जिरह में स्वीकारा है कि उसने पुलिस वालों को यह बयान सही दिया था कि कु0 सोनी के मर जाने की सूचना के पश्चात् दिनांक 03.12.2010 को शाम 5:00 बजे वह अपने घर आया था। इस प्रकार तहरीर/प्रार्थना पत्र 156 (3) दं0प्र0सं0 में तथा मुख्य परीक्षा में जो वादी मुकदमा द्वारा बताया गया है कि वह जब घर पहुँचा तब लड़की जिन्दा थी और उसने उसे बताया कि योगराज ने उसे मिठाई में जहर दिया है, जो पूरी तरह गलत है, जिससे अभियोजन कथानक पर संदेह उत्पन्न होता है।

20. गवाह वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 ने पंचायतनामा प्रदर्श क–1 को साबित किया है और अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि पंचायतनामा पुलिसवालों ने उसके व अन्य पंचो के सामने भरकर उस पर वादी मुकदमा व अन्य पंचों के हस्ताक्षर कराये थे।

21. पंचायतनामा प्रदर्श क–1 पत्रावली पर दाखिल है, जिसमें स्पष्ट अंकित है कि थाने में रिपोर्ट करने का दिनांक व समय क्रमशः 03.12.2010 व 02.30 पी.एम. है और पंचायतनामे की कार्यवाही दिनांक 04.12.2010 को समय 7.15 ए.एम. पर की गयी थी। पंचायतनामे पर यह भी अंकित है कि थाने पर सूचना वादी मुकदमा महाराज सिंह द्वारा दी गयी थी और सूचना देने के कथनानुसार मृतका सोनी की मृत्यु का कारण गेहूँ में रखने वाली सल्फास खाने से मृत्यु होना बताया था। पंचायतनामे में यह भी अंकित है कि मौके से सल्फास का 10 ग्राम का एक पैकेट भी बरामद किया गया था।

22. गवाह ने जिरह में बताया है कि पंचायतनामे की लिखत–पढ़त उसके सामने हुई थी और उसकी सहमति से हुई थी। गवाह ने इस बात को स्वीकारा है कि पंचायतमामे में उसकी राय में सोनी को जोगराज उर्फ योगराज ने जहर दिया हो, ऐसा कुछ अंकित नही कराया था। गवाह ने

स्वीकारा है कि सोनी के पास सल्फास का एक पैकेट मिला था, जो सफेद–हरे रंग का था और 10 ग्राम का था।

23. पंचायतनामा करने वाले पुलिसकर्मी **पी0डब्लू0 7 रिटायर्ड एस0आई0 मलखान सिंह राघव** परीक्षित हुए। जिसने बताया कि वह 7.15 बजे प्रातः दिनांक 04.12.2010 को घटनास्थल के लिये रवाना हुए थे और कां0 कैलाशचन्द व सुखवीर सिंह के साथ घटनास्थल पहुँचे थे। वहॉ पर उसने एक सल्फास का पैकेट बरामद किया था। उसके बाद पंच नियुक्त किये गये। जिनकी राय में मृतका सोनी की मृत्यु जहरीला पदार्थ खाने से हुई थी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम करने हेतु सर्व सील मोहर करके भेजा गया। पंचायतनामे को उसने अपने हस्तलेख में बनाना बताया है व अन्य औपराचिक कार्यवाहियों के विषय में बताया है। गवाह ने जिरह में बताया है कि वादी मुकदमा ने अपने राय में मृतका द्वारा स्वयं जहरीला पदार्थ खाने से मृत्यु होने की राय दी थी, जो पंचायतनामे में लिखी गयी थी। गवाह ने यह भी बताया है कि वादी मुकदमा ने थाने पर लिखित तहरीर दी थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि " दिनांक 03.12.2010 को 12:30 बजे के लगभग मेरे मोबाईल पर मेरी लड़की मीनाक्षी ने बताया कि सोनी बड़ी बहन ने गेहूँ में रखने वाली दवाई सल्फास खा ली है, जिससे वह मर गयी है।" गवाह ने बताया कि वादी द्वारा अभियुक्त के द्वारा मृतका को कोई जहरीला पदार्थ जानबूझकर या धोखे से खिलाने का कोई उल्लेख नहीं किया था।

24. इस प्रकार दिनांक 03.12.2010 को वादी मुकदमा द्वारा पुलिस को कोई सूचना मुल्जिम के द्वारा मृतका को जहरीला पदार्थ खिलाने की नहीं दी गयी थी। वादी मुकदमा ने पुलिस को बताया था कि मृतका ने सल्फास खा ली है, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है और मौके से पुलिस को सल्फास का 10 ग्राम का पैकेट भी मिला था। जिससे मुल्जिम के द्वारा मृतका को मिठाई बताकर जहर देने वाला अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

25. वादी मुकदमा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ऐसा कोई कारण नहीं बताया है कि जिस वजह से मुल्जिम मृतका को जहर दे। अपितु अपनी जिरह में यह बताया है कि उसने कभी मुल्जिम को उसके घर आते हुए उसकी लड़की से बातचीत करते हुए नहीं देखा है। इस प्रकार वादी मुकदमा ऐसा कोई कारण नही बता पाया है जिस वजह से मुल्जिम मृतका को जहर देता।

26. अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू0–2 के रूप में मिनाक्षी,** जो इस प्रकरण में मृतका की बहन है तथा घटना की चक्षुसाक्षी है, को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि–

''घटना दिनांक 03.12.2010 को दिन में साढ़े दस बजे के करीब मैं व मेरी बड़ी बहन सोनी घर पर नीम के नीचे चारपाई पर बैठे थे। तभी वहॉ हमारे गांव का रहने वाला योगराज हमारे घर पर अपने हाथ में मिठाई लेकर आया जिसमें से उसने एक टुकड़ा मेरी बहन सोनी को दिया एवं एक टुकड़ा मुझे दिया। मैने मिठाई खाने से मना कर दिया एवं मेरी बहन सोनी ने खा लिया था। मिठाई खाने के बाद मेरी बहन सोनी को उल्टियॉ होने लगीं। उस समय मेरे पिताजी व मम्मी मेरे मामा के घर शादी में गये हुए थे। मैंने सोनी को उल्टी करते देख घबराकर अपने ताऊ नवाब के घर जाकर उन्हें बताया। मैं व मेरे ताऊ नवाब जब वापिस अपने घर आये तो मेरी

बहन सोनी मर चुकी थी। सोनी के मरने की सूचना मेरे ताऊ नवाब ने मेरे पापा को फोन पर रूड़की में दी थी। सूचना मिलने पर मेरे मम्मी व पापा उसी दिन शाम को 4–5 बजे रूड़की से घर आ गये थे। घटना की सूचना मेरे पापा ने थाना बहसूमा पर दी थी। हम जाति से हरीजन हैं एवं अभियुक्त योगराज जाति से गुर्जर है। इस मामले में पुलिस वालों ने घटना की बावत मुझसे पूछताछ की थी।''

27. बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से विस्तृत जिरह की गयी। जिरह के दौरान साक्षी ने यह बताया है कि–

मेरे माता पिता उसी दिन शाम को 4–5 बजे वापिस आ गये थे तब तक पुलिस नहीं आयी थी एवं सोनी की लाश घर पर ही थी। मेरे पिताजी ने घर आकर घटना के बारे में मुझसे पूछा था। मुझसे पूछताछ करने के बाद मेरे पिताजी रिपोर्ट लिखाने थाने गये थे और फिर पुलिस आयी थी। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी। मुझसे बात चीत करने के बाद पंचायतनामा भरा था एवं लिखत पढ़त की थी। मेरे पिताजी ने रिपोर्ट में मेरे द्वारा उन्हें फोन पर सूचना देने वाली बात झूठ लिखवायी थी। यह बात सही है कि घटना की बावत मेरे पिता द्वारा दिनांक 03.12.2010 को दी गयी तहरीर में, ''सोनी बड़ी बहन ने गेहूँ में रखने वाली दवाई सल्फास खा ली है जिससे वह मर गयी है'' लिखा है। यह बात सही है कि इस तहरीर में उपरोक्त बातें मेरे द्वारा पिता महाराज सिंह को बताया जाना लिखा है।

28. पी0 डब्लू0 2 द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी मुख्य परीक्षा में बताया गया है कि मृतका के मरने की सूचना उसके ताऊ ने वादी मुकदमा को फोन से दी थी। जिससे धारा 156(3) दं0प्र0सं0 कि वादी मुकदमा को मृतका जिन्दा मिली थी और मृतका ने वादी मुकदमा को मृत्यु का कारण बताया था, वह सब झूठा साबित हो जाता है।

29. पी0 डबलू0 2 ने अपनी जिरह में स्पष्ट बताया है कि उसके पिता वादी मुकदमा ने घर आकर घटना के बारे में उससे पूछा था और उससे पूछताछ करने के बाद ही वादी मुकदमा रिपोर्ट लिखाने थाने गये थे और पुलिस आयी थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और उससे पूछताछ करके पंचायतनामा भरा था। पी0 डबलू0 2 ने स्वीकारा है कि दिनांक 03.12.2010 में दी गयी तहरीर में लिखा है कि '' सोनी बडी बहन ने गेहूँ में रखने वाली दवाई सल्फास खा ली है, जिससे वह मर गयी है '' लिखा है। गवाह ने स्वीकारा है कि उक्त तहरीर में यह बातें उसके द्वारा पिता वादी मुकदमा को बताया जाना लिखा है। इस प्रकार दिनांक 03.12.2010 को पंचायतनामा इत्यादि की कार्यवाही, वादी मुकदमा द्वारा तहरीर दिया जाना सब पी0 डबलू0 2 के बताने के आधार पर हुआ था, किन्तु उक्त तिथि पर योगराज के द्वारा जहर दिया जाना पी0 डबलू0 2 ने किसी को नहीं बताया था। पी0 डबलू0 2 ने स्पष्ट बताया है कि मुल्जिम की उसकी बहन या पिताजी से कोई रंजिश नही थी और न ही कोई मुकदमा चल रहा था। इस प्रकार पी0 डबलू0 2 के बयान से भी यह स्थापित नहीं होता है कि मुल्जिम द्वारा मृतका को जहर दिया गया हो। पी0 डबलू0 2 के द्वारा स्वयं को व मृतका को जहरीली मिठाई का टुकड़ा मुल्जिम के द्वारा दिया जाना बताया गया है। पी0 डबलू0 2 ने बताया है कि वह मिठाई का टुकड़ा उसने नहीं खाया था, मृतका ने खाया था, जिस कारण वह मर गयी, किन्तु इतना महत्तवपूर्ण साक्ष्य पी0 डबलू0 2 ने दिनांक 04.12.2010 को पुलिस को नहीं दिया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है कि वह

जहरीली मिठाई का टुकड़ा जो उसने नहीं खाया वह पुलिस को क्यों नही दिया गया था। इस प्रकार पी0 डबलू0 2 जो तथ्य बता रही है कि मुल्जिम के द्वारा मृतका को जहरीली मिठाई दी गयी थी, यह तथ्य संदेहास्पद हो जाता है।

30. अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू0–3 के रूप में कालू पुत्र रितुचरण** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि–

''आज से करीब पॉच साल पहले की बात है। दिन के दस साढ़े दस बजे का वक्त था। मैं महाराज सिंह के घर के सामने से होता हुआ खेत पर जा रहा था। महाराज सिंह हरिजन जाति का है। मैंने मुलजिम हाजिर अदालत योगराज को महाराज सिंह के घर देखा था। वह महाराज सिंह की बड़ी लड़की से बात कर रहा था। छोटी लड़की दिखायी नहीं दी। महाराज सिंह के छोटी लड़की भी है। योगराज सिंह हाथ में सफेद सा कुछ था जो खाने की चीज थी। योगराज सोनी पर शादी करने के लिये दबाव डाल रहा था। सोनी ने मना कर दिया तो योगराज ने सोनी को जहरीला पदार्थ दे दिया जिससे उसी दिन सोनी की मृत्यु हो गयी थी।'' मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि, ''सोनी और योगराज के बीच में प्यार का चक्कर चल रहा था, जब महाराज सिंह घर पर नहीं होता था तो योगराज उसके घर शराब लेने जाता था, वहीं से सोनी के साथ उसकी बातचीत होकर मौहब्बत हो गयी थी।''

31. बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से विस्तृत जिरह की गयी। जिरह के दौरान साक्षी ने यह बताया है कि–

''मुझे ध्यान नहीं है कि योगराज सिंह किस तारीख में महाराज सिंह के बाहर खड़ा था। मुझे नहीं पता कि उस दिन कौन सा दिन था। मैं महाराज सिंह के घर के सामने से निकल कर गया था तभी मैंने जोगराज को महाराज सिंह के घर के सामने बाहर खड़े देखा था। अज खुद कहा कि घर के अन्दर खड़े देखा था। लड़की भी योगराज के पास खड़ी थी। लड़की ने ड्रैस के कपड़े पहन रखे थे एवं योगराज ने पैंट कमीज पहन रखे थे। मैं योगराज के कपड़ों का रंग नहीं बता सकता। महाराज सिंह के मकान का मुख्य दरवाजा पश्चिम दिशा में है। मकान का दरवाजा 10–12 फिट चौड़ा है। मकान के सामने से खड़ंजा जा रहा है। रास्ता उत्तर दक्षिण जाता है। मैं उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में जा रहा था। मुझे नहीं पता कि महाराज सिंह के मकान में क्या क्या बना है एवं कितने कमरे बने हैं। मुझे नहीं पता कि महाराज सिंह के मकान की लम्बाई चौड़ाई क्या है। मैं कभी महाराज सिंह के घर नहीं गया। महाराज सिंह के घर के उत्तर में ब्रहमसिंह का मकान है एवं उत्तर में किसका घर है मुझे नहीं पता। उसके पूरव पश्चिम में किसके घर हैं मुझे नहीं पता। मैंने महाराज सिंह को योगराज एवं लड़की को खड़े होकर बात करने वाली बात नहीं बतायी थी। यह बात मैंने गांव समाज की वजह से नहीं बतायी थी। मैंने योगराज को उसके हाथ से लड़की को कोई वस्तु खिलाते हुए नहीं देखा था। वह वस्तु कागज के खलते में लिपटी हुई थी। मुठ्ठी में नहीं दबा रखी थी। दरोगा जी ने इस घटना के बारे में मेरा बयान लिया था। पॉच –छः दिन बाद मेरा बयान लिया था। मैंने दरोगा जी को यह बयान नहीं दिया था कि ''.मैंने जोगराज उर्फ योगराज को महाराज सिंह के घर के बाहर खड़े देखा था और मैं उस समय महाराज सिंह के घर के सामने होता हुआ अपने खेत पर जा रहा था।'' मुझे नहीं पता कि दरोगा जी ने यह गलत लिखा या सही लिखा। मैंने दरोगा जी को यह बयान नहीं दिया था कि,''..............क्योंकि महाराज सिंह शराब बेचने का काम करता था। कभी कभी जब महाराज

सिंह घर पर नहीं होता था उसकी लड़की भी शराब बेच देती थी।'' मैं नहीं बता सकता कि उपरोक्त बातें दरोगा जी ने सही लिखी हैं या गलत लिखी हैं। मैंने दरोगा जी को यह बयान नहीं दिया था कि, '' इस बात को सहन नहीं कर पायी थी और उसने कोई जहरीली चीज खाकर नादानी में जान दे दी थी। दरोगा जी ने यह बात गलत लिखी। मैंने ऐसा बयान दरोगा जी को नहीं दिया था। गवाह को उसका धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया तो उसने कहा कि मैंने ऐसी कोई बातें दरोगा जी को नहीं बतायी। जो बयान मैंने न्यायालय में दिये हैं ऐसी कोई बात दरोगा जी ने मेरे बयान में नहीं लिखी। महाराज सिंह के निजी वकील भी आज अदालत में मेरे साथ खड़े हैं।''

32. पी0 डबलू0 3 ने बताया कि बयान देने से पांच वर्ष पूर्व दिन के 10:00–10.30 बजे उसने मुल्जिम को महाराज सिंह के घर देखा था। वह महाराज सिंह की बड़ी लड़की से बात कर रहा था, छोटी लड़की दिखायी नहीं दी। उल्लेखनीय बात यह है कि पी0 डबलू0 2 जो महाराज सिंह की छोटी लड़की है उसने बताया कि दोनों बहन मृतका व छोटी लड़की कथित घटना के समय जब योगराज ने जहरीली मिठाई दी, अपने घर के अन्दर नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठी थी। ऐसे में छोटी बेटी का पी0 डबलू0 3 द्वारा न देखना अस्वभाविक है। गवाह से जिरह में पूछा गया तो नहीं बता पाया कि घटना किस तारीख की है व कौन सा दिन था। गवाह ने पहले बताया कि उसने देखा कि मुल्जिम योगराज सिंह महाराज सिंह के घर के सामने बाहर खड़ा था, फिर कहा कि अन्दर खड़े देखा था। इस प्रकार गवाह पी0 डबलू0 3 ने मुल्जिम को कब देखा, महाराज सिंह के घर के अन्दर देखा, घर के बाहर देखा, कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

33. पी0 डब्लू0 3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि योगराज सिंह के हाथ में सफेद सा कुछ था, जो खाने की चीज थी। मुख्य परीक्षा में पी0 डबलू0 3 ने नहीं बताया कि मुल्जिम के द्वारा मृतका को कुछ खिला दिया गया हो। मौके से कोई सफेद सी चीज, जिसका एक हिस्सा पी0 डबलू0 2 बताती है कि योगराज ने उसको भी दिया था, मौके से नहीं मिला है। इसके बाद पी0 डबलू0 3 के द्वारा एक साधारण बयान दिया गया है कि " योगराज सोनी पर शादी करने का दबाव डाल रहा था, सोनी ने मना कर दिया तो योगराज ने सोनी को जहरीला पदार्थ दे दिया, जिससे उसी दिन सोनी की मृत्यु हो गयी।" यह एक नया हेतुक पी0 डबलू0 3 ने बताया है, जिसके विषय में मृतका के परिवारजनों पी0 डबलू0 1 व पी0 डबलू0 2 के बयानों मे कुछ नहीं है। इस तथ्य की जानकारी कि योगराज सोनी पर शादी का दबाव डाल रहा था, पी0 डबलू0 3 को कैसे थी पी0 डबलू0 3 ने इस विषय में कोई स्पष्टीकरण नही दिया। इसके अलावा जिरह में विरोधाभासी बयान करते हुए बताया कि "सोनी ने जहर क्यों खाया मुझे नही पता।" इस प्रकार यह गवाह लगातार विरोधाभासी बयान कर रहा है।

34. गवाह को अपने धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान से कन्फ्रन्ट किया गया तो उसने बताया कि उसने ऐसा कोई बयान दरोजा जी को नही दिया था और जो बयान उसने न्यायालय में दिया है वह बातें उसने दरोगा जी को नहीं बतायी थी ऐसी बात उसके बयान में नही लिखी है। पी0 डबलू0 3 ने स्वीकारा है कि वादी मुकदमा के प्राईवेट वकील भी उसके साथ न्यायालय में खड़े हैं। इस प्रकार पी0 डबलू0 3 ने बिल्कुल नये तथ्य न्यायालय में बताये हैं, जो उसने पूर्व में विवेचक को नहीं बताये थे। यह नये तथ्य विवेचक को बताये गये तथ्यों से तात्विक रूप से भिन्न

हैं, कोई साधारण इम्प्रूवमेंट नही है, जिससे पी0 डबलू0 3 की गवाही विश्वसनीय नहीं रह जाती है।

35. इस प्रकार पी0 डबलू0 3 एक पूर्णतः अविश्वसनीय साक्षी है। जिसका बयान तात्विक विरोधाभासों से परीपूर्ण है। इसकी घटना के समय मौके पर उपस्थिति पूर्णतः संदिग्ध है।

36. अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू0–4 के रूप में देवी सिंह पुत्र ननवा सिंह** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि–

''हमारे गांव के योगराज गुर्जर जिसे गांव में जोगराज भी कहते हैं को भलीभॉति जानता हूॅ। महाराज सिंह को भी जानता हूॅ। महाराज सिंह की पुत्री न जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। ये बात मैने गांव मे सुनी थी। लेकिन जोगराज से महाराज सिंह की लड़की सोनी से कोई प्रेम प्रसंग हो। ऐसी कभी कोई बात मैंने गांव में नहीं सुनी। मुझे नहीं पता कि जोगराज का महाराज सिह के घर आना जाना था या नहीं।''

37. बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से विस्तृत जिरह भी की गयी परन्तु जिरह के दौरान पी0 डबलू0 4 ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, जिस कारण से उसको पक्षद्रोही घोषित किया गया है। जिरह के दौरान ऐसी कोई बात निकलकर नहीं आयी है, जिससे अभियोजन कथानक को बल मिले।

38. अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू0–5 के रूप में डा0 आनंद प्रकाश** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा मृतका सोनी के शव का पोस्टमार्टम कर **पोस्टमार्टम आख्या प्रदर्श क–3** तैयार की गयी है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया है कि–

''दिनांक 04.12.2010 को मैं उपरोक्त पद पर ही तैनात था। उस दिन मैं मृतका कु0 सोनी उम्र करीब 16 वर्ष पुत्री महाराज सिंह, निवासी–रहमापुर, थाना बहसूमा, मेरठ जिसको एस0ओ0 थाना बहसूमा, मेरठ के द्वारा सील मोहर बंद कर कां0 कैलाशचंद, कां0 1572 सुखबीर थाना बहसूमा के द्वारा भेजा गया था। शव की पहचान की थी। बाह्य परीक्षण में मृतका औसत कद काठी की थी। मृत्यु के बाद आने वाली अकड़न पूरे शरीर पर थी। पेट के नीचे के भाग में हरे रंग का परिवर्तन मौजूद था। नेल्स नीले थे। ऑख काफी खुली थी। आन्तरिक परीक्षण पर मस्तिष्क एवं मस्तिष्क की झिल्ली, फेफड़े की झिल्ली व फेफड़े, लीवर और प्लीहा, गुर्दे कंजस्टिड थे। बच्चेदानी खाली थी। हृदय के दॉयी तरफ ब्लड भरा था बॉयी तरफ खाली था। अमाश्य के अन्दर की झिल्ली कंजस्टिड थी लगभग 150 मिली0 फ्लूड भरा था। छोटी ऑत की आन्तरित झिल्ली कंजस्टिड थी उसमें गैस व मल भरा था। मृतका की मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण मृतका के शरीर से विसरा निकाला गया जो कि जार **ए** व जार **बी** में सुरक्षित किया गया। जार **ए** में अमाश्य व उसमें मौजूद जार **बी** में पिताश्य के सहित लीवर का छोटा सा टुकड़ा, पोलिया का टुकड़ा और छोटी आंत का टुकड़ा व एक गुर्दा लिया गया एवं छोटी शीशी में नमक का घोल जो कि विसरा को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया गया था। उपरोक्त दोनों जार व एक छोटी शीशी सील मोहर बंद साथ आये पुलिस कां0 को दी गयी। मृतका के शरीर पर निम्न कपड़े व सामान मौजूद था–

1. कुर्ता, 2. ब्रा, 3. सलवार, 4. चूड़ी एक पीली धातु, 5. अंगूठी एक पीली धातु, 6. हाथ का काला धागा।

उपरोक्त को भी साथ आये पुलिस कां0 को प्राप्त कराया।

उपरोक्त शव का परीक्षण मेरे द्वारा 04.12.2010 को समय 1:40 बजे पी0एम0 पर प्रारम्भ किया गया था। गवाह को कागज संख्या 16अ/1 दिखाया तो गवाह ने कहा की यह वही असल पोस्टमार्टम रिपोट है जो इसके द्वारा अपने हस्तलेख में तैयार की गयी थी। जिस पर इसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने **पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क–3** के रूप में साबित किया है। मृतका की मृत्यु लगभग एक दिन पूर्व होना सम्भव है।

39. बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से विस्तृत जिरह की गयी। जिरह के दौरान साक्षी ने यह बताया है कि–

''मैंने पी0एम0 की शुरूआत 1:40 पर कर दी थी। सल्फास तीव्र गंध वाला पदार्थ होता है। इसकी स्मैल बहुत दूर से आ जाती है। इसे धोखे से किसी व्यक्ति को खिलाया जाना सम्भव नहीं है। मृत्यु का सम्भावित समय शरीर में आये बदलाव अकड़न आदि के आधार पर निर्भर किया जाता है। सर्दियों में अकड़न देरी से आना शुरू होती है जो सिर की तरफ से आना प्रारम्भ होती है और पैरों की तरफ बढ़ती है। अकड़न 8 से 12 घंटे में पूरी बॉडी पर आ जाती है। अकड़न 12 घंटे बाद समाप्त हो जाती है। अकड़न प्रारम्भ होने के 12 घंटे और अकड़न के समाप्त होने के घंटे का निर्धारण मुश्किल होता है। मैंने गैस्ट्रीक वाश का कोई नमूना नहीं लिया था। केवल पेट की अन्तःवस्तु को परीक्षण के लिये भेजा था।''

40. पी0 डबलू0 5 डाक्टर के द्वारा बताया गया है कि पेट के नीचे के भाग में हरे रंग का परिवर्तन मौजूद था, नाखून नीले थे। डाक्टर द्वारा मृतका की मृत्यु का कारण नहीं बताया है, किन्तु पेट के नीचे के भाग का हरा होना व नाखूनों का नीला होना यह दर्शाता है कि मृतका ने कोई जहरीला पदार्थ खाया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। डाक्टर ने जिरह में बताया कि सल्फास तीव्र गंध वाला पदार्थ होता है और इसकी बू बहुत दूर से आ जाती है। किसी नमी वाले पदार्थ से मिलाने से इसकी बू और बढ़ जाती है। इसको धोखे से किसी व्यक्ति को खिलाया जाना सम्भव नही है। इस प्रकार पी0 डबलू0 5 डाक्टर के बयान से यह स्पष्ट है कि सल्फास को किसी खाद्य पदार्थ में मिलाकर धोखे से खिलाने की सम्भावना बहुत क्षीण होती है। इस तथ्य से भी अभियोजन कथानक कि मुल्जिम के द्वारा मृतका को जहरीला पदार्थ खिलाया गया हो संदेहkस्पद हो जाता है।

41. अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू0–6 के रूप में उपनिरीक्षक वेद सिंह** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने वादी के प्रार्थना पत्र धारा 156(3)दं0प्र0सं0 पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। साक्षी ने यह बयान दिया कि–

''दिनांक 30.03.2011 को मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर बोल बोल कर पंजीकृत की गयी थी जो मु0अ0सं0–62/2011, धारा–328, 302 भा0दं0सं0, 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में पंजीकृत की गयी थी जो न्यायालय श्रीमान सी0जे0एम0 महोदय, मेरठ के प्रार्थना पत्र संख्या 762/71 सन् 2010 महाराज सिंह आयु करीब 38 वर्ष, निवासी–रहमापुर, थाना बहसूमा, जिला मेरठ वादी के प्रार्थन पत्र पर सी0जे0एम0 के आदेश से पंजीकृत की गयी थी। पत्रावली पर दाखिल कागज

संख्या 4अ/1 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही आदेश है जिसके आधार पर एस0एच0ओ0 द्वारा एफ.आई.आर. पंजीकृत के आदेश दिये गये थे। साक्षी ने आदेश कागज संख्या 4अ/1 को तसदीक करते हुए **प्रदर्श क–4** के रूप में साबित किया। पत्रावली पर दाखिल कागज संख्या 4अ/1तथा 4अ/2 को तसदीक करते हुए **प्रदर्श क–5** के रूप में साबित किया तथा मामले का खुलासा रपट सं0–17/42 समय करीब 10:30 दिनांक 30.03.2011 पर किया है। पत्रावली पर दाखिल कागज संख्या 13अ/3 कार्बन कापी को **प्रदर्श क–6** के रूप में साबित किया है। इस पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की तसदीक की। यह मुकदमा अभियुक्त योगराज पुत्र बलीराम, निवासी रहमापुर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया थाना बहसूमा पर।

42. पी0 डब्लू0–6 मात्र एक औपचारिक साक्षी है जिसने थाने पर एफ0आई0आर0 पंजीकृत की थी और जी0डी0 तैयार की थी।

43. अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू0–8 के रूप में सेवानिवृत्त सी0ओ0 अखलाक अहमद खां** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने बयान किया कि–

''दिनांक 30.03.2011 को मुझे क्राईम नं0 62/2011 की विवेचना अन्तर्गत धारा 328/302 भा0दं0स0 व धारा 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना बहसूमा सी0ओ0 मवाना होने के कारण प्राप्त हुई। उस दिन मेरे द्वारा नकल तहरीर, नकल रपट व नकल आदेश माननीय न्यायालय सी0डी0 में किता किये गये। उसी दिन मेरे द्वारा नकल रपट 41/20:30 मृतका कु0 सोनी के पंचायतनामा का अवलोकन, बयान एस0आई0 मलखान सिंह, बयान एच0एम0 57 वेदसिंह, बयान कां0 क्लर्क 125 विकेश राणा, बयान वादी महाराज सिंह, बयान गवाह ओमवीर, बयान कु0 मिनाक्षी, बयान नवाब जाटव के किता किये गये। उसी दिन वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 5अ/1 नक्शा नजरी को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना तसदीक करते हुए **प्रदर्श क–11** के रूप में साबित किया है। उसी दिन मेरे द्वारा बयान गवाह पंचायतनामा श्री राजसिंह, संजय, वीरसिंह के बयान अंकित किये गये। उस दिन मेरे द्वारा समाई साक्षी नैनसिंह, ब्रहमपाल, राजसिंह, रामकिशन, देवी सिंह के बयान किता किये गये। उसी दिन मेरे द्वारा बयान गवाह कां0 54 कैलाशचंद के बयान सी0डी0 में अंकित किये गये। दिनांक 31.03.2011 को मेरे द्वारा सी0डी0 नं02 किता की गयी जिसमें एस0ओ0 द्वारा मुलजिम की गिरफ्तारी के लिये आदेश दिये गये। दिनांक 04.04.2011 को मेरे द्वारा पोस्टमार्टम के दौरान सुरक्षित रखा गया विसरा परीक्षण हेतु सील सर्व मुहर करके परीक्षण हेतु एफ0एस0एल0 आगरा भेजने हेतु एस0एच0ओ0 बहसूमा को आदेशित किया व इसका विवरण सी.डी. किता किया गया। दिनांक 05.04.2011 को मेरे द्वारा धनीराम रिठाला का बयान अंकित किया। दिनांक 06.04.2011 को सी0डी0 का पर्चा नं0 5 में गवाहान समन जारी किया गया।दिनांक 07.04.2011 को सी0डी0 नं. 6 में मेरे द्वारा गवाह करतार सिंह किता किया। दिनांक 08.04.2011 को मेरे द्वारा सी0डी0 नं07 में थाने पर गिरफ्तार करके लाये गये अभियुक्त योगराज के बयान किता किये गये। दिनांक 11.04.2011 को सी0डी08 में विसरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने की नकल की गयी। दिनांक 11.04.2011 को ही सीडी 8ए में एफ0आई0आर0 के गवाहान की तलाश कर विवरण अंकित किया। दिनांक 13.04.2011 को मेरे द्वारा बयान डॉक्टर आनंद प्रकाश सी0डी0 9 में किता किया गया। दिनांक 14.04.2011 को सी0डी0 10 में नकल प्रपत्र जो माल एफ0एस0एल0 भेजा गया, उसके दाखिला की नकल की गयी। दिनांक 22.04.2011 को मेरे द्वारा सी0डी0 11 में

गवाह कां0 सुखवीर जनपद पीलीभीत का बयान अंकित करने हेतु कार्य सरकार की व्यस्तता के कारण एस.आई. आर0 पी0 यादव को अधिकृत करके भेजना अंकित किया। दिनांक 30.04.2011 सी0डी0 12 में मेरे द्वारा बयान गवाह एफ0आई0आर0 कालू, बयान कां0 सुखवीर सिंह, नकल छात्र पंजिका व स्थानान्तरण सर्टिफिकेट व नकल अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र सी0डी0 किता किया गया। उसी दिन मेरे द्वारा अभियुक्त योगराज के विरूद्ध पूर्ण साक्ष्य के आधार पर अन्तर्गत धारा 306 भा0दं0सं0 व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का जुर्म बखूबी साबित होने पर आरोप पत्र सं0–48 दिनांक 30.04.2011 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। गवाह द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध आरोप पत्र को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना तसदीक करते हुए **प्रदर्श क–12** के रूप में साबित किया गया।''

44. बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से विस्तृत जिरह की गयी। जिरह के दौरान साक्षी ने यह बताया गया है कि–

''दौरान विवेचना वादी महाराज सिंह द्वारा थाना बहसूमा पर अपनी लड़की सोनी की मृत्यु की बावत सूचना इत्तलाई थाने पर दी थी जिसमें उसने किसी व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाया था बल्कि गेहूँ में रखने वाली दवाई सल्फास स्वंय खाने का कथन अंकित किया था। दिनांक 03.12.2010 को मुकदमा कायम होने के दिनांक 30.03.2011 के मध्य वादी महाराज सिंह इस घटना के बावत कोई शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर मेरे पास नहीं आया। वादी की थाने में दी गयी तहरीर दिनांक 03.12.2010 पर कोई अपराध नहीं बनता था। इस तहरीर की जांच पर यदि कोई अपराध बनता तो उसे उपराध संख्या पर ले लिया जाता। पुलिस थाना बहसूमा पर पंचायतनामा मृतका सोनी के पुलिस थाना बहसूमा द्वारा भरे गये पंचायतनामे को मैने विवेचना में शामिल किया था तथा पंचायतनामा भरने वाले एस0आई0 द्वारा दिनांक 0.12.2010 को पंचायतनामा भरते मय शव के पास से मिले सल्फास के पैकेट की बनायी गयी फर्द को भी विवेचना में शामिल किया था। वादी महाराज सिंह द्वारा थाने पर दी गयी तहरीर दिनांकित 03.12.2010 और न्यायालय में मुकदमा कायम कराने हेतु जिस पर यह अभियोग पंजीकृत हुआ दी गयी तहरीर के कथन में विरोधाभास था। मैने वादी से विस्तृत पूछताछ की थी किन्तु 03.12.2010 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के विषय में अलग से कोई पूछताछ नहीं की थी। विवेचना में मुझे अभियुक्त द्वारा मृतका को कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया हो इसका कोई निष्पक्ष साक्ष्य नहीं मिला था जिस कारण मैने दिनांक 06.04.2011 को मुकदमे को 306 भा0दं0सं0 में तब्दील कर दिया था। किसी भी साक्षी द्वारा मुझे अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ कोई जातिसूचक शब्दों का व्यवहार करने या यह जानकारी होने की कथित अपराध इसलिये कारित किया गया कि मृतका अनुसूचित जाति से है ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला था। दौरान विवेचना मैंने साक्षी पनीराम रेवाला तत्कालीन थानाध्यक्ष बहसूमा के बयान अंकित किये थे। जिसने अपने साक्ष्य में मुझे कथित घटना के दिन अभियुक्त योगराज के वादी के घर आने वाली बात वादी व उसके परिवारजन द्वारास नहीं बताने का साक्ष्य दिया था। इस साक्षी ने यह साक्ष्य भी दिया था कि मृत्यु की सूचना पर जब ये साक्षी घटनास्थल को देखने गया और लोगों से बातचीत की तब भी किसी ने ऐसी कोई बात नहीं बतायी जो वादी ने न्यायालय में प्रस्तुत की गयी तहरीर में अंकित करायी थी। दौरान विवेचना साक्षी करतार सिंह द्वारा मुझे यह साक्ष्य दी गयी थी कि इस घटना का वादी महाराज सिंह अवैध शराब बेचने का कार्य करता है। इस साक्षी द्वारा अभियुक्त योगराज के कथित घटना के दिन वादी के घर जाने का कोई साक्ष्य मुझे नहीं दिया गया था।''

45. विवेचक द्वारा स्पष्ट बताया गया है कि दिनांक 03.12.2010 को वादी मुकदमा ने अपनी पुत्री की मृत्यु की सूचना उसे थाने पर दी थी, जिसमें उसने किसी व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाया था, बल्कि गेहूँ में रखने वाली दवाई सल्फास स्वयं खाने का कथन किया था। विवेचक ने बताया कि दौरान विवेचना उसको ऐसा कोई निष्पक्ष साक्ष्य नहीं मिला कि मुल्जिम के द्वारा मृतका को कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया हो। इस प्रकार विवेचक के बयान से भी अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।

46. इस प्रकार उपरोक्त समस्त साक्ष्य से निष्कर्ष निकलता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के आधार पर जो मुकदमा कायम किया गया था वह गलत तथ्य पर आधारित है। प्रार्थना पत्र धारा 156(3)दं0प्र0सं0 में वादी मुकदमा ने बताया है कि जब वह घर पहुँचा तब उसकी पुत्री जिन्दा थी और उसके द्वारा बताया गया कि उसे मुल्जिम द्वारा जहरीला पदार्थ खिलाया गया है। किन्तु न्यायालय में अपने बयानों में उपरोक्त तथ्यों से इंकार कर दिया है और माना कि जब वह घर पहुँचा तो उसकी पुत्री मर चुकी थी। वादी द्वारा दिनांक 03.12.2010 को अपनी पुत्री की स्वंय सल्फास खाकर मृत्यु होने की सूचना थाने पर दी थी, जिसमें यह तथ्य नही बताया था कि मुल्जिम के द्वारा जहर दिया गया है अथवा उसको सल्फास खाने के लिये उत्प्रेरित किया गया हो। किन्तु बाद में दिनांक 13.12.2010 को न्यायालय में नये तथ्य बनाकर 156(3) दं.प्र.सं. का प्रार्थना पत्र दिया गया है। दिनांक 04.12.2010 को जब पीड़िता के शव का पंचायतनामा भरा था तब मौके से पुलिस को सल्फास का पैकेट मिला था और पंचनामे की कार्यवाही के दौरान भी वादी द्वारा नहीं बताया गया कि मुल्जिम के द्वारा मृतका को जहर दिया गया है अथवा उसको मुल्जिम ने जहर खाने के लिये उत्प्रेरित किया है। मुल्जिम व मृतका के बीच में कोई सम्बन्ध होना, स्वयं वादी मुकदमा पी0डब्लू0 1 व पीडिता की बहन पी0डब्लू0 2 ने नही बताया है। पी0डब्लू0 2 ने जो तथ्य बताया है कि मुल्जिम ने मृतका को जहरीला पदार्थ खाने के लिये दिया था वह पी0डब्लू0 2 के बयान के उपरोक्त विवेचन से संदेहास्पद है। पी0डब्लू0 3 उपरोक्त विवेचन से एक पूर्णतः अविश्वसनीय साक्षी स्थापित हुआ है। पी0डब्लू0 4 पक्षद्रोही साक्षी है, जिसने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। पी0डब्लू0 5 पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर है। पी0डब्लू0 6 तत्कालीन थाने पर हैड मोहर्रिर है, जिसने थाने पर मुकदमा कायम किया है। पी0डब्लू0 7 ने दिनांक 04.12.2010 को शव का पंचायतनामा किया था और मौके से सल्फास का पैकेट एकत्र किया था। जिसने बताया कि पंचायतनामे की कार्यवाही के दौरान वादी मुकदमा ने उसको बताया था कि मृतका ने स्वंय जहरीला पदार्थ खाया है। पी0 डब्लू0 8 विवेचक है। जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि उनको दौरान विवेचना ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मुल्जिम के द्वारा मृतका को कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया था।

47. इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से अभियोजन यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि मुल्जिम के द्वारा मृतका की हत्या जहरीला पदार्थ उसको खिलाने से की गयी है अथवा उसको आत्महत्या करने के लिये उत्प्रेरित किया गया है।

48. उपरोक्त समस्त विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियुक्त योगराज उर्फ जोगराज आरोप अन्तर्गत धारा 306 भा0दं0सं0 तथा धारा 3(2)5

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के अधीन लगाये गये दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

49. अभियुक्त योगराज उर्फ जोगराज को सत्र परीक्षण संख्या–221/2014 के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–62/2011, धारा–306 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3 (2) 5 अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।

50. अभियुक्त योगराज उर्फ जोगराज जमानत पर है। अभियुक्त के व्यक्तिगत बंध पत्र तथा प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते हैं। प्रतिभूतियों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

51. अभियुक्त योगराज उर्फ जोगराज द्वारा धारा 437ए दं0प्र0सं0/485 बी0एन0एस0एस0 के अधीन मु0 50,000/–(पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व इसी धनराशि के दो प्रतिभू निर्णय की दिनांक से 15 दिन के भीतर इस आशय से निष्पादित किया जावे कि निर्णय के विरूद्ध अपील योजित होने की स्थिति में वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, अन्यथा उसके प्रतिभूओं और व्यक्तिगत बंधपत्र जब्त किये जा सकेंगे। उक्त बंध पत्र व प्रतिभू विधि द्वारा निर्धारित अवधि तक विधि अनुसार ही प्रभावी होंगे।

52. पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

दिनाकः 18.06.2026

(अमित वीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
मेरठ।
जे0ओ0 कोड यू0पी06240

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित होकर सुनाया गया।

दिनाकः 18.06.2026

(अमित वीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
मेरठ।
जे0ओ0 कोड यू0पी06240

This is uncertified copy for information/reference,
For authentic copy Please refer to certified copy only.

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.06.18 17:19:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court